(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण

II/निगरानी/दतिया/भू.रा.सं./2017/2648

1. रामनाथ पुत्र देव सिंह
2. रामस्वरूप पुत्र देव सिंह
3. भूरा पुत्र रामसेवक
4. नरेश पुत्र रामसेवक

निवासीगण ग्राम–तिलैथा

तहसील–इन्दरगढ़ जिला–दतिया

विरूद्व

फूल कुंवर तथाकथित पत्नी रकसू

निवासी ग्राम–तिलैथा

तहसील–इन्दरगढ़, जिला–दतिया

प्रस्तुत 16.8.17 रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

तहसीलदार इन्दरगढ द्वारा प्रकरण कमांक 89/अ–6/16–17 में पारित आदेश दिनांक 5–08–2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा –50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारो पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का विवादित आदेष अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, इस प्रकरण में विवादित भूमि के स्वामी रकसू पुत्र घासीराम थे रकसू अविवाहीत थे उनका स्वयं, का कोई परिवार नहीं था आवेदकगण रकसू के सगे भाई देव सिंह के उत्तराधिकारी है।

3. यह कि, भूमि स्वामी रकसू ने आवेदकगण के हित में दिनांक 26/03/2012 को विधिवत वसीयतनामा निष्पादित किया था तथा सेवढ़ा जिला–दतिया में नोटरी से उसका प्रमाणिकरण किया गया था।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / दतिया / भूरा / 2017 / 2648

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
9–01–19	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में तहसीलदार तहसील इन्दरगढ जिला दतिया के प्रकरण कमांक 89 / अ–6 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 5.8.17 के विरूद्व निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशेधन अनुसार तहसीलदार तहसील इन्दरगढ जिला दतिया द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 5.8.17 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशेधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 9.3.19 को कलेक्टर दतिया के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य **कलेक्टर दतिया**	